District Magistrate
Date 18/5/15
R.No. 3674
Confidential Section, Darbhanga
NIC

कार्यालय
पुनर्वास पदाधिकारी
कोशी योजना, सुपौल

पत्रांक.........................सुपौल दिनांक............................/

आम डाक सूचना–04/2015–16

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला दरभंगान्तर्गत पश्चिमी तटबंध के तरफ के निम्नलिखित पुनर्वास स्थलों के परती खेती योग्य भूमि/तालाबों का अस्थायी बन्दोबस्ती के लिए आम डाक निर्धारित तिथि को की जाएगी।

डाक स्थल – पुनर्वास पदाधिकारी का कार्यालय, कोशी योजना, सुपौल।

भूमि का ब्यौरा

क्र0	पुनर्वास स्थल का नाम	तालाब/खेती योग्य बन्दोबस्त करने वाले जमीन का रकवा	डाक की न्यूनतम राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि 10% (रूपये में)	अवधि	आम डाक की तिथि समय	अभियुक्ति
1	रसियारी परबलपुर	2.00 एकड़ × 7 भूखण्ड, 0.37 डी×1 भूखण्ड	7×2960 एवं 1×550	300 एवं 60	सत्र 2015–16 (एक वर्ष मात्र)	दि0 30.05. 2015 समय 11बजे पूर्वाहन	एक फसला
2	रसियारी बकुनिया	2.00 एकड़ × 4 भूखण्ड,1.25 एकड़×1 भूखण्ड	4×2960 एवं 1×1480	300 एवं 190	वही	वही	एक फसला
3	झगुरवा उत्तर	2.00 एकड़ × 4 भूखण्ड 1.25एकड़×1 भूखण्ड	4×2960 एवं 1×1480	300 एवं 190	वही	वही	एक फसला
4	झगुरवा दक्षिण	2.00 एकड़ × 13 भूखण्ड,	13×2960	300	वही	वही	एक फसला
5	तरबारा कुबौल	2.00 एकड़ × 4 भूखण्ड	4×2960	300	वही	वही	एक फसला
6	तैतरी पश्चिम डाका	2.00 एकड़ × 2 भूखण्ड, 1 एकड़×1 भूखण्ड	2×2960 एवं 1×1480	300 एवं 190	वही	वही	एक फसला
7	तैतरी भभोल जकसो दक्षिण	2.00 एकड़ × 9 भूखण्ड	9×2960	300	वही	वही	एक फसला
8	तैतरी भभोल जकसो उत्तर	2.00 एकड़ × 6 भूखण्ड, 1 एकड़×1 भूखण्ड	6×2960 एवं 1×1480	300 एवं 150	वही	वही	एक फसला
9	तैतरी भभोल जकसो मध्य	2.00 एकड़ × 2भूखण्ड, 1.25 एकड़×1 भूखण्ड	2×2960एवं 1×1480	300 एवं 190	वही	वही	एक फसला
10	जमालपुर दक्षिण	2× 7 भूखण्ड, 1 एकड़×1 भूखण्ड	7×2960 एवं 1×1480	300 एवं 148	वही	वही	एक फसला
11	अखतवारा उत्तर	2.00 एकड़ × 4 भूखण्ड,1.49 एकड़×1 भूखण्ड	4×2960 1×2200	300 एवं 148	वही	वही	एक फसला
12	अखतवारा दक्षिण	2.00 एकड़ × 2 भूखण्ड,	2×2960	300	वही	वही	एक फसला
13	अमाही खैसा	2.00 एकड़ × 3 भूखण्ड,	3×2960	300	वही	वही	एक फसला
14	अमाही दक्षिण	2.00 एकड़ × 3 भूखण्ड,, 1.59 एकड़×1 भूखण्ड	3×2960, 1×2350	300 एवं 240	वही	वही	एक फसला
15	जमालपुर उत्तर	तालाब	6000	600	सत्र 2015–16 से सत्र 2017–18 (तीन साल मात्र)	वही	तालाब
16	तैतरी भभोल जकसो	तालाब	6000	600	वही	वही	"
17	रसियारी बकुनिया	तालाब	6000	600	वही	वही	"
18	झगुरवा दक्षिण	तालाब	6000	600	वही	वही	"
19	रसियारी कल्याणपुर	तालाब	6000	600	वही	वही	"
20	झगुरवा उत्तर	तालाब	6000	600	वही	वही	"

आम डाक में भाग लेने की शर्ते

1. प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग बिहार पटना का ज्ञापांक 276 दिनांक 13.07.2010 में वर्णित आदेशानुसार बन्दोबस्ती के लिए डाक में भाग लेने वाले बन्दोबस्ती भूमि के ग्राम के अथवा तीन मील की परिधि के भीतर के पड़ोसी ग्राम निवासी होगें। डाक/बन्दोबस्ती में निम्न क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। पुनर्वासित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य कोटि के भूमिहीन /अवकाश प्राप्त सैनिक/सहिद सैनिक के उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. एक बार भूमि की बन्दोबस्ती प्राप्त करने के पश्चात पुनः तुरन्त बाद वाली डाक/ बन्दोबस्ती में भाग लेने के लिए वे हकदार नही होगें
3. वर्णित पत्रानुसार बन्दोबस्ती हेतु निर्धारित राशि का 10% राशि अग्रधन के रूप में जमा करने के पश्चात ही डाक में भाग लें सकेंगें।
4. बन्दोबस्ती हेतु कर्णकित भूमि को बन्दोबस्ती के लिए लगान की दर का अवधारण पुर्नरीक्षित विभागीय अधिसूचना संख्या 422 दिनांक 29.06.2007 द्वारा नियत आधार दर में 5 % वार्षिक वृद्धि के आधार पर किया गया है। सत्र 2015–16 के लिए वर्णित पत्र के आलोक में एक फसला भूमि के लिए रूपये 1478 प्रति एकड़ एवं द्वि फसला भूमि के लिए रूपये 1848 प्रति एकड़ मात्र न्यूनतम डाक दर निर्धारित किया गया है।
5. उच्चतम डाकवक्ता को विभगीय ज्ञापांक 276 दिनांक 13.07.2010 के आलोक में डाक की कुल राशि जमा नहीं करने पर उनकी जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।
6. बन्दोवस्ती के अवधि के बीच जनहित (पुनर्वास) में आवश्यकतानुसार बन्दोवस्त किये गये जमीन/तालाब का विभागीय पदाधिकारी को उपयोग में लायी गयी भूमि को लेने का अधिकार रहेगा और वैसी स्थिति में बन्दीवस्ती स्वतः रद्द समझी जायेगी और शेष अवधि के लिए कोई दावा नहीं रहेगा। फसल आदि की नुकशान के मुआबजे के लिये बन्दोबस्तधारी द्वारा किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
7. डाक लेनेवाले व्यक्तियों को पुनर्वास स्थल के तालाब में मात्र खेती /मछली पालन ही करने का अधिकार होगा। उक्त जमीन/तालाब में वे अपना या वैध/अवैध किसी तरह का स्थायी निर्माण नही करेंगें। स्थलीय स्थायी निर्माण की सूचना एवं स्थल का मिट्टी काटकर स्वरूप बदलने की स्थिति में बन्दोबस्तधारी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
8. अधोहस्ताक्षरी को डाक की तिथि में परिवर्त्तन करने/स्थागित करने एवं सम्पन्न किये गये डाक को बिना कारा बताये रद करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. जब तक आम डाक सम्पन्न नही हो जाता है तब तक कोई भी व्यक्ति या समूह जमीन पर खेती/तालाब में मछली पालने एवं पकड़ने का कार्य नहीं करेंगे। डाक/ बन्दोबस्त पाने वाले व्यक्ति ही उस जमीन/तालाब का हकदार होगें।
10. सफल डाकवक्ता को लगान की राशि जमा करते समय अग्रधन की राशि को भुगतैय लगान के विरूद्ध समायोजित कर लिया जाएगा। असफल व्यक्ति के अग्रधन की राशि डाक सम्पन्न होने के तुरन्त बाद उन्हे वापस कर दी जाएगी।
11. पुनर्वास पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध बन्दोबस्तदार (डाक्वक्ता) को किसी न्यायालय में जाने का हक नहीं होगा।
12. आम डाकवक्ता को पुनर्वासितों की नागारिक सुविधाओं में किसी प्रकार व्यवधान नहीं करना होगा अन्यथा उनकी बन्दोबस्ती रद्द की जा सकती है। आम डाक की उपरोक्त सभी शर्त्त मुझे मान्य है।
13. बन्दोबस्ती / निलामी से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस को पुनर्वास कार्यालय, कोशी येाजना सुपौल से प्राप्त की जा सकती है। एवं www.eproc.bihar.govt.com पर देखा जा सकता है।
14. बन्दोबस्ती /डाक में भाग लेने वालो को वर्णित शर्तों मान्य है का प्रमाण पर हस्ताक्षर करना होगा।
15. एक डाककर्ता को भूखण्डों की एक बार अधिकतम दो एकड़ तक ही सीमित रहेगा, किसी भी परिस्थिति में दो एकड़ से अधिक भूखण्ड का बन्दोबस्ती / निलामी नहीं दी जाएगी।

पुनर्वास पदाधिकारी,
कोशी येाजना, सुपौल

ज्ञापांक........................./ सुपौल, दिनांक................................/

प्रतिलिपि : – सूचना एंव जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को डाक/बन्दोबस्ती से सम्बन्धित पॉच अतिरिक्त प्रतियों एवं सम्बन्धित CD के साथ सूचनार्थ एंव राजस्तरीय किसी दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार हेतु प्रकाशित कराने की कार्रवाई हेतु समर्पित।

पुनर्वास पदाधिकारी,
कोशी येाजना, सुपौल

ज्ञापांक 247 / सुपौल, दिनांक 08.05.015

प्रतिलिपि –सम्बन्धित ग्राम पंचायत के मुखिया/ थाना अध्यक्ष/ अंचालाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिलापदाधिकारी , सुपौल/सहरसा/मधुबनी/दरभंगा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

पुनर्वास पदाधिकारी,
कोशी येाजना, सुपौल